

विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
मंगलवार, 07 मार्च, 2023 / 16 फाल्गुन, 1944 (शक)

संख्या-97

सदस्यों को हिरासत में लेने संबंधी सूचना

माननीय सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी जिला, नई दिल्ली से माननीय अध्यक्ष को संबोधित निम्नलिखित संदेश दिनांक 02.03.2023 को प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि सी.आर.पी.सी की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने यह निर्देश देना अपना कर्तव्य समझा है कि तीन विधायकों (1) श्री रोहित महारौलिया (त्रिलोकपुरी, नई दिल्ली से विधायक) (2) श्री दिनेश मोहनिया (संगम विहार, नई दिल्ली से विधायक) (3) श्री गोपाल राय (बाबरपुर, दिल्ली से विधायक) को हिरासत में लिया जाना चाहिए क्योंकि वे बड़ी संख्या में लोगों (5 से अधिक) के साथ सी.जी.ओ कॉम्प्लेक्स में आये और सी.जी.ओ कॉम्प्लेक्स के पास सड़क को अवरुद्ध कर दिया। भीड़ को सूचित किया गया और चेतावनी दी गई परंतु उन्होंने तितर-बितर होने से इंकार कर दिया। अतः उक्त तीनों विधायकों को दिनांक 26.02.2023 को 12.40 बजे हिरासत में लेकर फतेहपुर बेरी पुलिस थाना लाया गया। उन्हें दिनांक 27.02.2023 के डी.डी संख्या 54ए के द्वारा 24 घंटे के अंदर मुक्त कर दिया गया ”

राज कुमार
सचिव

**LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)
Tuesday, 07 March, 2023/16 Phalgun, 1944 (Shaka)

No. 97

DETENTION OF MEMBER

Hon'ble Members are hereby informed that following message, addressed to Hon'ble Speaker has been received on 02.03.2023 from Deputy Commissioner of Police, South District, New Delhi :-

“I have the honour to inform you that I have found it my duty in the exercise of my powers conferred under section 144 CrPC to direct that three MLAs (1) Shri Rohit Mehraulia (MLA from Trilokpuri, New Delhi) (2) Shri Dinesh Mohania (MLA from Sangam Vihar, New Delhi) and (3) Shri Gopal Rai (MLA from Babarpur, Delhi) be detained for as they came to CGO complex along with a large number of people (more than 5) and blocked the road near CGO complex. The gathering was informed and warned but they refused to disperse. As such all the above three MLAs had to be detained on 26.02.23 at 12.40 hrs and brought to Fatehpur Beri Police Station. They have been released vide DD No.54A dated 27.02.23 within 24 Hrs.”

**Raj Kumar
Secretary**